छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

विविध अपील संख्या 886/2005

अपीलार्थी/दावेदार:

गोपी राम, आत्मज मंगलू राम केवट, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम हीरापुर, तहसील बालोद, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/अनावेदक

हीरालाल आत्मज बलदेव साहू, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम हीरापुर, तहसील बालोद, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री एस.के. गुहा, अपीलार्थी के अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से कोई नहीं

आदेश

(दिनांक 23 फरवरी, 2006)

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह अपील दावा प्रकरण क्र. 35/2004 में अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 31/3/2005 के विरुद्ध निर्देशित है।
2. दिनांक 22.3.2005 को, अपीलार्थी श्रमिक के रूप में कार्य करते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पंजीकरण संख्या CG 04 ZC 8488 और CG 04 ZC 8489 में बैठा था। उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली प्रत्यर्थी द्वारा चलाई जा रही थी, जो उसके उपेक्षापूर्ण और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अपीलार्थी को चोटें आईं, जिसने 69,000/- रुपये (उनहत्तर

हजार रुपये मात्र) के प्रतिकर का आकलन किया और उसकी वसूली के लिए अधिनियम की धारा 166 के तहत एक याचिका दायर की।

3. प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि वह ट्रैक्टर-ट्रॉली पंजीकरण संख्या CG 04 ZC 8488 और CG 04 ZC 8489 का स्वामी है। ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग उसके द्वारा बोल्डर, मुरुम आदि के परिवहन के लिए किया जा रहा था।यद्यपि, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के दावे का खंडन किया और तर्क दिया कि उसने अपीलार्थी के उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय को पहले ही वहन कर लिया है।

4. अपीलार्थी ने अपने अभिवचन के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जबकि प्रत्यर्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विद्वान अधिकरण ने साक्ष्यों का मुल्यांकन करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि दुर्घटना के समय प्रत्यर्थी वाहन चला रहा था, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यद्यपि गोपी राम (अभि.सा. 1) के मौखिक साक्ष्य विरोधाभासी हैं। मुख्य परीक्षा में उसने अभिवाक किया है कि प्रत्यर्थी हीरालाल वाहन चला रहा था, लेकिन प्रति-परीक्षा में उसने कथन किया है कि दुर्घटना के समय वाहन उसके द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। हीरालाल यह खंडन करने के लिए अभि.सा. के रूप में उपस्थित नहीं हुआ कि वह दुर्घटना के समय वाहन नहीं चला रहा था या यह स्थापित करने के लिए कि दुर्घटना लापरवाही या उपेक्षापूर्ण रीति से वाहन चलाने के परिणामस्वरूप नहीं हुई थी। प्रदर्श पी-5 सारांश पत्र है। प्रत्यर्थी ने दाण्डिक विचारण में अपना दोष स्वीकार किया था जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वह लापरवाही और उपेक्षापूर्ण तरीके से ट्रैक्टर-ट्रॉली चला रहा था और उसी के परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई और गोपी राम घायल हुआ। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य विरोधाभासी थे, किन्तु दाण्डिक न्यायालय द्वारा दर्ज की गई स्वीकारोक्ति, इस बात के साक्ष्य का अभाव कि दुर्घटना लापरवाही या उपेक्षा से वाहन चलाने का परिणाम नहीं थी, और इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी की यह स्वीकारोक्ति कि उसने चिकित्सा व्यय वहन किया था, से सुरक्षित रूप से यह स्थापित किया जा सकता है कि दुर्घटना प्रत्यर्थी द्वारा लापरवाही और उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के परिणामस्वरूप हुई थी।

6. दुर्घटनाग्रस्त वाहन प्रत्यर्थी के स्वामित्व में है और दुर्घटना लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण रीति से

वाहन चलाने के परिणामस्वरूप हुई थी, इसलिए वाहन कौन चला रहा था यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वाहन का स्वामी प्रतिकर के भुगतान के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दावेदार उस दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रतिकर का हकदार है।

7. गोपी राम (अभि.सा. 1), कामता प्रसाद (अभि.सा. 2), श्रीमती चंद्रिका बाई (अभि.सा. 3) और हरीचंद (अभि.सा. 4) के कथनों तथा चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी गोपी राम को दुर्घटना में चोटें आईं और उसकी चोटों का चिकित्सकीय उपचार किया गया। उपचार हेतु उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। चोटों की प्रकृति के समर्थन में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य नहीं रखा गया है,यद्यपि, चोट के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को चिकित्सा उपचार पर व्यय करना पड़ा था। अपीलार्थी अपने बयान में स्वीकार करता है कि प्रत्यर्थी द्वारा उसके चिकित्सा खर्चों के लिए लगभग 8,000/- से 9,000/- रुपये खर्च किए गए थे। प्रदर्श पी-2, गोपी राम के उपचार के लिए 1860/- रुपये की दवाएं खरीदने का मेमो है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह राशि भी प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान की गई है। अपीलार्थी को आई चोटें गंभीर या स्थायी नहीं थीं, काफी व्यय पहले ही प्रत्यर्थी द्वारा वहन किया जा चुका था। अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि लगभग 4 से 5 दिन है, इसलिए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि प्रदर्श पी-2 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय सहित कुल 5,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दी जाती है, तो वह इस मामले में न्यायोचित और उचित प्रतिकर होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी अपीलार्थी को 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) 9% ब्याज के साथ दिनांक 3.7.2004 से वसूली तक और 2000/- रुपये अधिकरण के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय के खर्च के रूप में संदाय करेगा।

सही/-
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

राव

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur